

कार्यालय आदेश सं.-PRS/NGCDR/HQ/51/2021

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है:-

वाणिज्य विभाग, मुख्यालय, प्रयागराज में कनिष्ठ लिपिक, लेवल-02 से वरिष्ठ लिपिक, लेवल-05 (66.67%) पदोन्नति कोटा के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 01.02.2021 को सम्पन्न हुई लिखित सुयोग्यता परीक्षा में निम्नलिखित कर्मचारी उपयुक्त पाये गये है। तदनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को वरिष्ठ लिपिक, लेवल-05 के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं	नाम / सर्व श्री / श्रीमती / कु.	वर्तमान पदनाम एवं वेतनमान	पदोन्नति के बाद पदनाम एवं वेतनमान	कार्यस्थल
1.	कुँवर आनन्द	कनि. लिपिक, लेवल-02	वरि. लिपिक, लेवल-05	वाणिज्य विभाग, मुख्या. प्रया.
2.	हीरा प्रसाद	कनि. लिपिक, लेवल-02	वरि. लिपिक, लेवल-05	वाणिज्य विभाग, मुख्या. प्रया.
3.	अभिलेख पाराशर	कनि. लिपिक, लेवल-02	वरि. लिपिक, लेवल-05	वाणिज्य विभाग, मुख्या. प्रया.
4.	तपश्वनी सामन्त राय	कनि. लिपिक, लेवल-02	वरि. लिपिक, लेवल-05	वाणिज्य विभाग, मुख्या. प्रया.

नोट-1. क्र.सं. 01 व 03 पर दर्शाये गये कर्मचारी की पदोन्नति तत्काल प्रभाव/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. क्र.सं. 04 पर दर्शाये गये कर्मचारी की लेवल-02 में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के उपरान्त वरिष्ठ लिपिक, लेवल-05 में पदोन्नति दिनांक 26.06.2021 से प्रभावी होगी।

यह पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन है:-

1. यदि कर्मचारी निलम्बन में है अथवा उसके विरुद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाही चल रही है अथवा कर्मचारी प्रभावी शास्ति के अंतर्गत हो तो कर्मचारी को पदोन्नत न किया जाए एवं इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाए।
2. पदोन्नति कर्मचारी नियम 1313(एफ आर-22) (1)(ए)। आर।। के अनुसार वेतन निर्धारण के पात्र है। यदि कर्मचारी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण वेतनमान में वेतन वृद्धि तिथि से चाहता हो तो अपना विकल्प निर्धारित प्रोफार्मा में एक माह के अंदर उचित माध्यम से इस कार्यालय में भेजे। निर्धारित अवधि उपरांत प्राप्त विकल्पों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. यह आदेश रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2006-E(SCT)I/25/8 Dated 30-09-2016 (RBE No. 117/2016) जिसमें यह वर्णित है कि आरक्षित वर्ग की पदोन्नति से संबंधित अवमानना याचिका और स्पेशल लीव पेटिशन (SLPs) माननी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अतः यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निर्णय के अनुसार परिवर्तनीय होंगे।
4. यदि कोई वरिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति में किन्ही कारणों से वंचित रह गया हो तो भविष्य में कनिष्ठ कर्मचारियों को बिना नोटिस पदावनत कर वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत किया जाएगा।
5. उपरोक्त पदोन्नति आदेश प्राविजनल है और किसी भी स्तर पर परिवर्तन करने के लिए प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा।

ब्रजेश चतुर्वेदी

(ब्रजेश कुमार चतुर्वेदी) 25/02/20
वरि. कार्मिक अधिकारी/औ.सं.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

पत्र सं. 797-ई/स्था./लिपिक/वाणिज्य/पदो./संवर्ग पुनर्संरचना दिनांक 25.02.2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/उमरे/प्रयागराज।
2. प्रधान वित्त सलाहकार/उमरे/प्रयागराज।
3. उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/सी एण्ड पीएस/उमरे/प्रयागराज।
4. उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/क्लेम/उमरे/प्रयागराज।
5. उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्या./उमरे/प्रयागराज।
6. वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक/कैटरिंग/उमरे/प्रयागराज।
7. मुख्य कार्या. अधी./कार्मिक/एमपीपी/पास, वेतन एवं बिल/उमरे/प्रयागराज।
8. महामंत्री/एन.सी.आर.ई.एस./एन.सी.आर.एम.यू./उमरे/प्रयागराज।
9. जोनल सचिव, एस.सी./एस.टी./ओबीसी./उमरे/प्रयागराज।
10. संबंधित कर्मचारी।